25/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। न्यायालय समय में बार-बार आवाज लगाने पर भी हाजिर नहीं। अतः पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज की जाती है। फत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

यह फैसला आज दिनांक 25/6/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर